कार्यवृत्त

गुरुवार, 14 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 05 दिसम्बर, 2019)

खण्ड–55

अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन, श्री करन माहरा एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के मा0 सदस्य प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए पेराई सत्र 2019–20 में गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराए जाने की मांग करने लगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार का वर्ष 2014 –2015 एवं 2015–2016 के गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। उस पर भी विचार कर लेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने श्री अध्यक्ष से व्यवस्था दिए जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम–310 की इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। तत्पश्चात् मा0 नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गए, उत्तर दिए गए।

श्री अध्यक्ष ने माननीय सदन को सूचित करते हुए कहा कि मुझे हर्ष हो रहा है कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित अल्पसूचित एवं तारांकित सभी प्रश्नों के उत्तर अत्यन्त सकारात्मक और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में समय से पहले दिए गए, इसके लिए मैं सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सभी माननीय सदस्यगण को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार प्रश्नकाल जनहित के लिए उपयोगी सिद्ध होता रहें ताकि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रश्न पर चर्चा के माध्यम से अधिकतम लोकहित प्राप्त करने के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति करने में यह सम्मानित सदन अत्यन्त उच्च आदर्श प्रस्तुत करता रहे। धन्यवाद।

मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब सदन आहूत होता है तो एक बड़ी स्थापित परम्परा है और उस स्थापित परम्परा को अब तक किसी सरकार ने नहीं तोड़ा है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार सदन की अनदेखी कर रही है, यदि सदन आहूत होने के बाद कैबिनेट होती है, पहले सदन में जानकारी दी जानी चाहिए लेकिन कल की कैबिनेट की बैठक के मिनट्स की जानकारी सरकार ने सदन में न देकर प्रेस कान्फ्रेंस करके पहले मीडिया को दी जा रही है।

मान्यवर, आप एजेन्डा देखें तो उसमें एक कॉलम आपकी तरफ से हमेशा होता है कि माननीय मंत्रिगणों की ओर से कोई वक्तव्य हो तो उसकी जानकारी सदन में दी जा सकती थी, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार लन्च ऑवर में कैबिनेट हुई है। यदि यह हो रहा है तो अनुचित है। मेरी इस पर घोर आपत्ति है और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस तरह सदन की अनदेखी नहीं करेगी तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि मा0 सदस्य द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, संसदीय कार्य मंत्री भी जानते हैं कि जब सदन चल रहा हो तो सदन के बाहर कोई घोषणा नहीं की जा सकती है, कुछ व्यक्तिगत नियम भी है और परम्परा भी है। जो प्रश्न मा0 सदस्य ने उठाया है, वह महत्वपूर्ण है। जो सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, यदि प्रेस को नहीं दीं तो मीडिया में किसके माध्यम से प्रकाशित हुई।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है और मीडिया की खबरों पर सदन में संज्ञान नहीं लिया जाता है। परम्पराओं का निश्चित रूप से हम

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से निम्नलिखित 07 सूचनाएं स्वीकार कर रहे हैं:–

1.	श्री फुरकान अहमद	वक्फ बोर्ड की बैठक सम्पादित न किए जाने के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद ऊधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में ट्रेंचिंग ग्राउन्ड (कूड़ाघर) को हटाए जाने के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत खजूरखाल दुर्गा देवी मोटर–मार्ग (लम्बाई 04 किमी0) के डामरीकरण के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	जिला अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महारौली–चित्तौड़खाल मोटर–मार्ग का अधूराकार्य पूर्ण ना होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	डॉ0 प्रेम सिंह राणा	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी सम्मान पेंशन को हटाने से भारी आक्रोश के सम्बन्ध में । **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्री राजेश शुक्ला	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम के कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4.	श्री देशराज कर्णवाल	धनश्री ऐग्रोशुगर मिल लिमिटेड इकबालपुर हरिद्वार पर गन्ना किसानों का वर्ष 2007 से 2019 तक का रुपये 218 करोड़, बकाया राशि देने के सम्बन्ध में।

श्री देशराज कर्णवाल सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकरोड़, I में पानी की निकासी के सम्बन्ध में'' श्री शमशाद पुत्र श्री वहीद, ग्राम व पो0 सिकरोड़, I, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बेहडकी सैदाबाद में बिरम सिंह ब्रजभूषण त्यागी के खेत तक सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बिरम सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, ग्राम बेहडकी सैदाबाद, पो0 इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम बिन्डुखड़क में शिव मंदिर से नरपाल के घर तक लगभग 900x3 मीटर सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विशेष पुत्र श्री इसम सिंह, ग्राम बिन्डूखड़क, पो0 भलस्वागाज, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों चम्बा देवरी, कुड़ियालगांव नागणी, बादशाही थौल, राज राजेश्वरी, नकोट, पांगरखाल, जाखड़ीधार मरोड़ा, कपरियाणीसैंण, बैसोली, अंजनीसैंण, मोटर मार्गों को स्टेट हाईवे घोषित किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री धर्म सिंह रावत, ग्राम व पो0 जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों जैसे काणताल, कोटी कालोनी, डाण्डाचली, नई टिहरी अखोड़ीसैंण, चम्बा रानीचौरी, टिहरी ईको पार्क बनाए जाने के सम्बन्ध में'' श्री सतेन्द्र धनोला, ग्राम व पो0 चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के शिवालयों चन्द्रेश्वर महादेव, मुनाणू मृत्युंजय महादेव, सावली बगासू महादेव कोटीगाड़ चम्बा, भद्रेश्वर महादेव, पौखाल गंगेश्वर महादेव, जसपुर देवलसारी महादेव गेंवली को एक साथ जोड़कर शिवभक्ति आस्था परिचय धार्मिक सर्किट बनाए जाने के सम्बन्ध में'' श्री सीता राम भट्ट, ग्राम व पो0 गेंवली, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 की बैठक में दिनांक 05 दिसम्बर 2019 क उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>05 दिसम्बर, 2018</u>

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन), विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

वित्तीय वर्ष 2019–20 की अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण। **(अपराह्न 04 :00)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय

अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना लिए जाने की मांग की, जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा वे अपनी सूचना कल दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री करन माहरा, श्री हरीश सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री राजकुमार एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार की कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री राजकुमार एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचनाएं स्वीकार की गई, शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह द्वारा जिला विकास प्राधिकरण के गठन से सम्बन्धित नियम–58 की सूचना पर चर्चा कराए जाने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चूंकि जिला विकास प्राधिकरण के गठन से सम्बन्धित पिछले सत्र में मा0 अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में एक समिति का गठन कर दिया है, तथा उसकी एक बैठक भी हो चुकी है। इस कारण यह विषय उठाने का औचित्य नहीं है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि पिछली बार मा0 सदस्य श्री करन माहरा द्वारा इससे सम्बन्धित विषय उठाया गया था, जिसमें मेरे द्वारा कमेटी का गठन शीघ्र किए जाने का विनिश्चय दिया गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कमेटी अपनी बैठकें कर रही है।

प्रदेश में गन्ना किसानों के गन्ने की पेराई सत्र 2019–20 का मूल्य घोषित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किए।

मा0 सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा के भाषण के दौरान ही श्री अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि आज राजकीय माध्यमिक पूर्व विद्यालय अजबपुर कलां एवं सक्सेस प्वाइंट, सिविल एकेडमी स्कूल, ई–ब्लाक नेहरू कॉलोनी, के शिक्षक एवं छात्र/छात्राएं सदन की कार्यवाही देखने हेतु दर्शक दीर्घा में उपस्थित हुए हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए :–

1. श्री फुरकान अहमद,
2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
3. श्री आदेश सिंह चौहान,
4. श्रीमती ममता राकेश,

श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार, श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा तथा श्री हरीश सिंह का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे।

संसदीय कार्य मंत्री के सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 36 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के पस्तोड़ा वार के ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण न होने से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने भी विचार व्यक्त किए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से असंतुष्ट होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य ''वेल'' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम में ऑनलाइन निविदा में हुई धांधली के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के गरूणाबाज में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री हरि प्रसाद टम्टा पारस्पिरिक शिल्प उन्नयन संस्थान का कार्य पूर्ण न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उत्तरकाशी के आराकोट, कोठीगाड़ बंगाण क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राजकुमार ने विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड चार धाम श्राईन बोर्ड का गठन करने के फैसले के विरोध में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किए।

संसदीय कार्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 की अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत की।

उत्तराखण्ड चार धाम श्राईन बोर्ड का गठन करने के फैसले के विरोध के पश्चात उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया। माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने सदन का **बहिर्गमन** किया।

उद्यान मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री सौरभ बहुगुणा, माननीय सदस्य विधान सभा ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :–

खण्ड–5 उपखण्ड (2) में शब्द ''0.10 हे0 के स्थान पर 1.0 हे0 अथवा 1.0 हे0 से अधिक'' शब्दों को रख दिया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मुन्ना सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान सभा ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :–

खण्ड–4 के उपखण्ड (6) को विलोपित कर दिया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मुन्ना सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान सभा ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :–

खण्ड–12 के उपखण्ड (7) को विलोपित कर दिया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–27, खण्ड–1,परिशिष्ट–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उद्यान मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019 को यथा संशोधित पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–23 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

दिनांक 21 फरवरी, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के सम्बन्ध में श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें एवं ड्रेस वितरण योजना होने विषयक दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा श्री मनोज रावत के भाषण से आरम्भ हुई। शिक्षा मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें सेः–

मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की सूचना जो कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भीमताल के राजकीय इन्टर कालेजों का भवन निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य कि लिए तथा

मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला की सूचना जो कि प्रदेश कें नशे का करोबार बड़े पैमाने पर होने से प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को रोकने के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही 04:00 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।